न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी — विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)

सहायक कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नम्बर — 2023/91

दर्ज दिनांक — 31.07.2023

कल्याण बनाम अमरचन्द

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 मय 151 सीपीसी 1908

उपस्थित :— 1 श्री ओमप्रकाश सैनी (वकील प्रार्थीगण)

2 श्री ब्रजमोहन गौड (वकील अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 17/01/2025

प्रकरण के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कल्याण पुत्र चुन्या जाति मीना निवासी बिलौना कला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 मय 151 सीपीसी विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 28.09.2023 इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 231 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 383 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 391 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 392 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 393 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम बिलौना कला तहसील लालसोट के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्ता एवम स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 331/2021 विरूद्ध प्रार्थीगण दिनांक 08.09.2011 को पेश किया गया था जिसमें प्रार्थी एवम सहखातेदारान की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 05.10.2011 को नियत की गई थी तथा मिन प्रार्थीगण की तलबी हुये बिना ही बिना जानकारी के दिनांक 02.07.2012 को एकपक्षीय

कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। तदुपरांत दिनांक 24.04.2018 को एकपक्षीय बहस सुनी जाकर वादपत्र प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया गया जिसकी प्रार्थीगण को दिनांक 08.06.2018 को जानकारी होने पर दिनांक 02.07.2012 को हुए एकपक्षीय कार्यवाही मंसूख किये जाने हेतु दिनांक 11.06.2018 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा उसी दिन प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात भी प्रस्तुत किया गया। दिनांक 03.09.2019 को मिन प्रार्थी के अधिवक्ता ने अण्डर टेकिंग भी दी थी। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मंसूखी एवम आपत्ति कुर्रेजात पर निर्णय किये बिना ही दिनांक 05.08.2022 को मिन प्रार्थी के विरूद्ध के विरूद्ध पुनः एकतरफा कार्यवाही करते हुए पत्रावली दिनांक 23.08.2022 को वास्ते बहस नियत की गई जिस पर अप्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 28.09.2022 को प्रकरण अन्तिम रूप डिक्री कर दिया गया जिससे प्रार्थीगण व्यथित है इस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने आगे अभिवचन किये है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मंसूखी एवम आपत्ति कुर्रेजात का निस्तारण किये बिना ही प्रकरण अन्तिम रूप से डिक्री किया गया है जिसमें प्रार्थीगण की सुनवाई से वंचित रखा गया है। तथा तहसीलदार द्वारा बनाये गये विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किये गये है जिसमें न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की पालना की गई है। एकतरफा निर्णय एवम डिक्री दिनां 28.09.2022 से प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा पक्षकारों के मध्य विवाद का भी अंत नहीं होगा झगडे व विवाद की स्थिति बनी रहेगी इस हेतु प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जावे। पूर्व में हुई एकपक्षीय कार्यवाही के संदर्भ में प्रार्थीगण का कहना है कि प्रार्थीगण को एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी नहीं थी क्योंकि प्रार्थीगण की प्रोपर तामील नहीं हुई थी। जब प्रार्थी को जानकारी हुई तो प्रार्थीगण द्वारा मंसूखी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा एक प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात भी पेश किया गया। तदुपरांत प्रार्थी के वकील मुकेश मीना द्वारा अण्डर टेकिंग भी दी गई थी। किन्तु फिर से प्रार्थी की एकपक्षीय कार्यवाही कर बिना प्रार्थी को बिना सुने व बिना प्रार्थना पत्र मंसूखी का निस्तारण किये दिनांक 28.09.2022 को प्रकरण अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया गया जिसमें प्रार्थी अपना पक्ष रखने से वंचित रह गया है। अतः निर्णय डिक्री दिनांक 28.09.2022 को अपास्त कर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जावे।

लिमिटेशन के संबंध में दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर इस आधार पर देरी माफी हेतु अभिवचन किये है कि प्रार्थीगण को निर्णय जैर प्रार्थना पत्र की पहले कतई जानकारी नही थी तथा प्रकरण में प्रार्थीयान का मंसूखी एकतरफा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2018 व आपत्ति कुर्रेजात लम्बित होने के भुलावे में होने से प्रार्थीयान निर्णय जैर अपील की पहले जानकारी नही रख सके अब प्रकरण में पारित डिक्री के आधार पर मौके पर काबिज भूमि से प्रार्थीयान को बेदखल करने व राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवाने की

धमकी देने से प्रार्थीगण को सम्पूर्ण जानकारी दिनांक 31.07.2023 को हुई तदुपरांत वकील से सलाह लेकर देरी माफी हेतु यह प्रार्थना पेश किया है। अतः डिले कंडोन फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियय 13 मय 151 तथा दफा–5 दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण/वादी को तलब किया गया। वादी की ओर से वकील श्री ब्रजमोहन गौड उपस्थित आये तथा वकालतनामा एवम जवाब पेश किया जो पत्रावली में शामिल किया गया। वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को मिथ्या करार देते हुए जवाब में अंकित किया है कि न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के उपरांत ही निर्णय एवम डिक्री पारित की है। विभाजन एवम मुकदमा सन् 2011 से जैरकार था जिसमें इतने वर्षो बाद निर्णय किया गया है। पूर्व में प्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थी की एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी तथा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसकी प्रार्थी को भलीभॉति जानकारी होने के कारण ही प्रार्थी द्वारा मंसूखी प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर भी बार–बार उपस्थि नहीं आने के कारण ही विधिवत पूर्वक न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर विधि अनुसार ही निर्णय किया गया है। प्रार्थी को सुनवाई से वंचित नहीं रखा गया है। तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव नियम अनुसार ही तैयार किये गये है। पक्षकारों को नोटिस देने के उपरांत ही मौके पर जाकर प्रार्थी की जानकारी में कुर्रेजात तैयार किये गये है। जिस पर प्रार्थी की कोई आपत्ति भी नहीं रही है। अतः अपनी लापरवाही को छिपाकर इतनी देरी से यह मियाद बाहर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो आधारहीन है। न्यायलय द्वारा पारित निर्णय एवम डिक्री दिनांक 28.09.2022 में कोई अवैधतता नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है जिसे खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र दफा–5 के संबंध में अप्रार्थीगण का कहना है कि तहसीलदार लालसोट द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने की जानकारी प्रार्थी को शुरू से ही रही है प्रार्थी बार–बार न्यायालय में अनुपस्थित रहा है अपनी लापरवाही का लाभ उठाने के प्रार्थी द्वारा यह गलत तथ्यों पर आंधारित प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी को लापरवाही का लाभ नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी को दिनांक 31.07.2023 को सर्वप्रथम जानकारी होने के तथ्य गलत एवम आधारहील है अतः यह प्रार्थना पत्र दफा 5 अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। जवाब शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

प्रार्थना पत्र दफा 5 व आदेश 9 नियम 13 मय 151 सीपीसी पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दाराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री ओमप्रकाश सैनी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किये कि प्रार्थी की प्रकरण की शरूआत में ही तामील सम्यक रूप से नहीं हुई थी इसकी पुष्टि नोटिस पर दर्ज

बयान से की जा सकती है जिसमें प्राप्तकर्ता का नाम भी अंकित नही है। इस प्रकार बिना प्रार्थी को प्रकरण की जानकारी एवम सुचना के ही प्रकरण में एकपक्षीय डिक्री दिनांक 24.04.2018 को जारी की गई थी जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा 11.06.2018 को प्रार्थना पत्र मंसूखी जिसमें सहबन से आदेश 9 नियम 13 का अंकन हो गया है, पेश किया गया तथा साथ ही एक प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात भी पेश किया गया। जिस पर निर्णय नही किया जाकर न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 28.08.2022 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थी को सुने बिना प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किये ही सीधे ही अंतिम डिक्री जारी की गई है, जो कानून गलत है। जबकि प्रकरण में कार्यवाही वादी की ओर से लम्बित थी न की प्रतिवादी/प्रार्थी की। चूँकि प्रकरण में प्रार्थना पत्र का वादी/अप्रार्थी को जवाब दिया जाना था किन्तु अप्रार्थी ने पेश ही नही किया और जवाब बंद किये जाने की बजाय न्यायालय द्वारा प्रार्थी की एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, जो एक प्रक्रियात्मक भूल है। विद्वान वकील प्रार्थी ने न्यायालय का पत्रावली की आदेशिकाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये तर्क दिये कि पत्रावली दिनांक 11.01.2021 को न्यायालय एसडीओ से क्षेत्राधिकार के कारण ट्रांसफर होकर विचारण न्यायालय को प्राप्त हुई उसके बाद दिनांक 15.03.2021 को पत्रावली जवाब एवम तलबी में नियत की गई जिसके पालन की जिम्मेदारी वादी की थी न की प्रार्थी/प्रतिवादी की। आगामी तारीख को कोरोना के कारण जनरल पेशिया दी गई अर्थात न्यायालय में नियमित ससुनवाई नहीं होकर सीधे ही दिनांक 5.08.2022 को प्रार्थी की एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। ओर प्रकरण अंतिम रूप से निर्णीत कर दिया गया जिसमें प्रार्थी को सुनवाई से वंचित रखा गया है। जो पूर्णत सिद्ध हो चुका है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए एकपक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 28.08.2022 को अपारत किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी श्री ब्रजमोहन गौड ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दलीले दी है कि प्रार्थी द्वारा झूठे तथ्यों को आधार बनाकर देरी करने की गर्ज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी की विधिवत तामील हुई थी जिसके बाद प्रार्थी

द्वारा मंसूखी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मंसूखी प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद भी प्रार्थी सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित नही रहा है। जिसके कारण प्रार्थी की दुबारा से एकपक्षीय कार्यवाही हुई है और इस कार्यवाही पर प्रार्थी का यह कहना बेबुनियाद है कि उसे प्रकरण की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी को अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लि नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित आना चाहिए था किन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। एवम जानबूझकर अनुपस्थित रहा है जिसका कोई न्याय–संगत कारण भी नहीं है। प्रार्थी को लापरवाही का फायदा नहीं दिया जा सकता। दूसरा न्यायलय द्वारा पारित आदेश एवम निर्णय विधिवत् है जिनमें कोई अवैधानिकता नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार एवम मियाद बाहर है जिसे अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवम मूल पत्रावली का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। दिनांक 27.32.2012 के सम्मन की प्रति जिसमें नोटिस प्रार्थी के बेटे मुकेश द्वारा प्राप्त करने तथा इस आशय के दस्खत पृष्ठांकित होने से विद्वान वकील अप्रार्थी के प्रार्थी की सम्यक् तामिल होने के तर्क बखूबी साबित है। इसके उपरांत हुई प्रार्थी की एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 02.07.2012 एवम् प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.04.2018 में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रकट नहीं हुई है। किन्तु प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.06.2018 को पेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जिसका जवाब पेश करने का दारोमदार अप्रार्थी/वादी पर था, पेश करने में असफल रहे है। यहॉ यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नही होगी की प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित आने का जिम्मा वादी/अप्रार्थी पर था क्योकि उसे जवाब पेश करना था जो नहीं किया गया। इसके बाद पत्रावली स्थानान्तरित होकर विचारण न्यायालय में ट्रांसफर हो गई, जो पत्रावली की आदेशिका से पूर्णतः साबित है। पत्रावली स्थानांतरण के उपरांत उभयपक्ष या उनके अधिवक्ताओं को सूचना देकर ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही किया जाना विधि–संगत था जो नहीं किया गया चूकि प्रतिवादी/उनके अधिवक्ता के उपस्थित आने का अंकन नहीं है, जो पत्रावली की आदेशिकाओ से बखूबी दर्शित होता है। यहा यह

बात स्पष्ट है कि पत्रावली स्थानान्तरण से पूर्व दिनांक 24.01.2020 को प्रतिवादी/प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित रहे है उसके उपरांत न्यायालय की कार्यवाही नही चली है तथा पत्रावली ट्रांसफर हो गई जिसके बाद प्रतिवादी/प्रार्थी विचारण न्यायालय में हाजिर नहीं आये इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्भवतः प्रतिवादी/प्रार्थी को पत्रावली के ट्रांसफर होने की जानकारी नहीं रही हो। चुंकि न्यायालय की आदेशिकाओं से भी इस दौरान प्रतिवादी/प्रार्थी के उपस्थित आने या पत्रावली ट्रांसफर होने की जानकारी होना साबित नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी जानबूझकर विचारण न्यायालय में अनुपस्थित नहीं रहा है। फलस्वरूप डिले कन्डोन किया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। न्याय का ऑडी अल्ट्रम एण्ड पार्टम सिद्धान्त भी इसी आशय का प्रतिपादन करता है कि पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए।

अतः उक्त विवेचन एवम तथ्यो के परिशीलन उपरान्त विधि एवम् न्याय के ऑडी अल्ट्रम एण्ड पार्टम सिद्धान्त की रोशनी में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर डिले कन्डोन किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 मय 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर निर्णय एवम डिक्री दिनांक 28.08.2022 अपास्त किये जाते है। तदनुसार प्रार्थी को सबूत/सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाते है। प्रार्थना फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। संलग्न मूल पत्रावली रहे। मूल पत्रावली आगामी पेशी पर कायम की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17/1/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विजेन्द्र कुमार मीना आरएएस

सहायक कलक्टर लालसोट दौसा

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)